राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर

क्रमांक F.11(74)R&P/I C M/SJED/2014-15/ 60286 जयपुर, दिनांक.....20 नवम्बर 2014

आदेश

अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप मे स्वर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के युवक युवतियो के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढावा देने हेतु "डा. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह सहायता योजना" विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11/आरएण्डपी/ अन्तर्जातीय विवाह / सान्याअवि/61/82–82/ 54961–55111 दिनांक 27.11.2006 एवं 39546 दिनांक 01.04.2013 द्वारा योजना के नियम संख्या 3 एवं 4 मे अकिंत शर्तो मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है तथा शेष शर्ते यथावत रहेगी।

बिन्दु संख्या	संशोधित प्रावधान
2	देय सहायता– (अ) युगल के सुखद दाम्पत्य जीवन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से पति–पत्नि के संयुक्त नाम एवं स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के पदनाम के संयुक्त रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट (समय से पूर्व अदेय) 2.50 लाख रू (ब) युगल के पुनर्वास प्रयोजनार्थ घरेलू उपयोग आदि की चीजों की खरीद के लिये संयुक्त बैंक खाते में के माध्यम से नगद सहायता 2.50 लाख रू कुल राशि 5.00 लाख रू
3 (1)	विवाह का पंजीकरण करवाना होगा किन्तु वर/वधू की अधिकतम आयु 35 वर्ष हो सकेगी और विवाह के 1 वर्ष की अवधि के अन्दर सहायता के लिए आवेदन देना होगा ताकि अन्तर्जातीय विवाह की सामाजिक पहचान हो सके । सलंग्न नवीन आवेदन–प्रपत्र मे आवेदन करना होगा।
3 (4)	ऐसे युगल में से जो युवक/युवति अनुसूचित जाति का न हो और वह दूसरे राज्य का निवासी हो तो उसे इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके प्रान्त या राज्य में उसे अस्पृश्य नहीं माना जाता और वह हिन्दू धर्म का पालन करते हैं । विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में निवास करना होगा किन्तु वह विधिक आजीविका पालन के लिए अस्थाई रूप से राजस्थान से बाहर निवास कर सकेगा ।
3 (5)	ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष तक की हो और उसके पति या पत्नि जीवित न हो एवं मृत्यु आत्महत्या (सुसाईड) व हत्या से संबंधित न हो और उसे कोई संतान न हो उसे भी पुनर्विवाह करने पर इस योजना के तहत सहायता दी जायेगी बशर्ते कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सहायता प्रदान नहीं की गई हो।

3 (6)	इस योजना के तहत अन्तर्जातीय विवाह करने वाले राजस्थान के अनु.जाति पक्ष की संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय स्तर पर संबंधित निकाय के स्वयं के खर्चे पर सम्मान समारोह आयोजित कर सकेंगें ताकि अस्पृश्ता व जातीय भेद को कम करने के साथ-साथ सामाजिक पहचान दी जा सके।
4	पात्र युगल में से राजस्थान राज्य के अनु.जाति पक्ष को अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा।

अतः उक्त संशोधन आदेश दिनांक 01.12.2014 से प्रभावी होगे।

सलंग्न :- संशोधित आवेदन पत्र

20.11.14
(आम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक F.11(74)R&P/I C M/SJED/2014-15/ 60287-399 जयपुर, दिनांक.....20 नवम्बर 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2 निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-।।) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4 कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ...
5 विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
6 वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
7 संयुक्त निदेशक (योजना),मुख्यावास।
8 जिला कोषाधिकारी,...
9 उप निदेशक/सहायक निदेशक/ जि.परि.एवं स.क.अ. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
10 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को ई-मेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
11 लेखाकार, ऑडिट/अंकमिलान/बजट, मुख्यावास।
12 गार्ड फाईल।

निदेशक